

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा

दिनांक 5.12.2020

प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/2019-20

// लोक सूचना - जारी दिनांक 5.12.2020 //


"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के तहत धारा-21 (1) के तहत प्रस्तावक विभाग :- उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

राज्य शासन को नीचे दी गयी अनुसूची में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन (खण्डवा अकोला के मध्य गेज कन्वर्जन) हेतु आवश्यकता है एवं राज्य शासन का ईरादा उक्त भूमि का कब्जा लिये जाने का है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गयी जमीन पर आपको किस तरह का हक्क है। सार्वजनिक कार्य के लिये हासिल की जाने वाली जमीन का मुआवजा पाने के लिये अपने हक्क के तफसील दे और जमीन के पेमाईश के बारे में अगर आपको कोई आपत्ति हो तो पेश करे। अपनी लिखित आपत्ति स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा के न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 6.1.2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खण्डवा
(ग) ग्रांम	:	जीरवन
(घ) अर्जित रकबा	:	3.142 हक्टेयर


जिला अभियंता
(निर्माण) खण्डवा (म.प्र.)

निरंतर 2

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
108	0.142	469	0.042
107 / 2	0.059	470	0.053
100 / 1 / 1	0.058	471	0.078
100 / 2 / 1	0.168	472	0.064
254	0.056	473 / 1	0.074
253	0.274	473 / 2	0.086
455	0.064	474 / 1	0.174
457	0.628	474 / 2	0.007
462	0.002	475 / 1	0.098
464	0.161	475 / 2	0.117
465	0.042	476	0.118
466	0.037	512 / 1	0.067
467 / 1	0.010	512 / 2	0.084
467 / 2	0.027	512 / 3	0.127
468	0.032	566	0.193
कुल खसरा न०-30		कुल रकबा-3.142 हैक्टे०	

पृ०क०/री-1/2020/3569
प्रतिलिपि :-

खण्डवा, दिनांक- 5.12.2020

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि जिले की वेबसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
- 2- तहसीलदार तहसील खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के आठ दिवस में वापस भिजवाने की व्यवस्था करें

- 1- तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड,
- 2- ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड,
- 3- ग्राम जीरवन की चौपाल पर।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा
वास्ते कन्वेक्टर जिला खण्डवा